:: सम्मान-निधि के नियम एवं शर्तें ::

1. सम्मान-निधि ऐसे पूर्ण कालिक अधिमान्य पत्रकार को प्रदान की जायेगी जो किसी दैनिक/साप्ताहिक समाचार-पत्र में कम से कम 20 वर्षों तक सवैतनिक कार्य करते रहे हों और उनकी आयु एक जनवरी, 2021 की स्थिति में 60 वर्ष हो। इन्हें प्रतिमाह दस हजार रुपये सम्मान-निधि के रूप में देने का निर्णय लिया गया है। श्रद्धा-निधि प्रारंभ में पाँच वर्ष के लिए दी जायेगी।

2. सम्मान-निधि केवल उन पत्रकारों को दी जायेगी, जिन्हें राज्य शासन से कोई अन्य नियमित सहायता प्राप्त नहीं हो रही हो।

3. अधिमान्य पत्रकार को यह शपथ-पत्र देना होगा कि वह आयकर-दाता की श्रेणी में नहीं आता है।

4. यह पात्रता उन अधिमान्य पत्रकारों को होगी जो जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश से कम से कम 10 वर्ष अधिमान्य रहे हों।

5. एक पत्रकार को प्रतिमाह रुपये दस हजार सम्मान-निधि की पात्रता होगी।

6. अधिमान्य पत्रकार को बैंक में बचत खाता खुलवाना होगा, जिससे उनके बैंक खाते में राशि जमा की जा सके। इसके लिए पत्रकार को आवश्यक प्रमाण-पत्र वर्ष में एक बार प्रस्तुत करना होगा, जिससे उनके बैंक खातों में प्रतिमाह सम्मान-निधि जमा की जा सके।

7. अधिमान्य पत्रकार पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिये।

8. सम्मान-निधि की पात्रता स्वीकृति के बाद भी किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यदि लाभार्थी का आचरण पत्रकारिता के मान्य सिद्धांतों, मानदण्डों के विपरीत पाया जाता है या उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो यह पात्रता समाप्त की जा सकेगी।

9. सम्मान-निधि स्वीकृति के 5 वर्ष पश्चात प्रकरणवार समीक्षा की जायेगी।

....